कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी रायबरेली

पत्र सं0: सी0एफ0ओ0 / पेट्रोल पम्प / एफएस–2019

दिनांक: 28 – 5 – 2019

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट
रायबरेली।

विषयः–इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा प्रस्तावित स्थल ग्रा0 सेरी, तहसील–सदर, जनपद रायबरेली में एम एस एण्ड एच एस डी रिटेल आउटलेट / फिलिंग स्टेशन की स्थापना हेतु निरीक्षण आख्या दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– कृपया अपने पत्र सं0 45 / शस्त्र लि0–II / जॉच / 19 दिनांकः 09.05.2019

उक्त विषयक इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा प्रस्तावित स्थल ग्रा0 सेरी, तहसील–सदर , जनपद रायबरेली, गाटा सं0: 195 में एम एस एण्ड एच एस डी रिटेल आउटलेट / फिलिंग स्टेशन रायबरेली से लखनऊ रोड पर निकट किमी0 स्टोन–60–61, एन एच–30 (पुराना एन एच 24 बी) का अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी नगर रायबरेली द्वारा कराया गया आख्या निम्नवत् हैः–

ढॉचागत संरचना के सम्बन्ध मेंः–

1– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का प्लाट एरिया–2052.81 वर्ग मी0 है जो रायबरेली से लखनऊ रोड पर निकट किमी0 स्टोन–60–61 एन एच–30 (पुराना एन एच 24 बी) ग्रा0 सेरी, तहसील–सदर , जनपद रायबरेली में स्थित पाया गया है।
2– प्रस्तावित कार्यस्थल अग्निशमन विभाग के छोटे–बड़े वाहन सुगमता पूर्वक व आसानी से आ जा सकते है।
– प्रस्तावित कार्यस्थल के दक्षिण की तरफ रोड व अन्य तीन तरफ खाली कृषि योग्य भूमि पायी गयी।
4– प्रस्तावित स्थल पर 20 कि0ली0 क्षमता का 02 एच एस डी एवं 20 कि0ली0 क्षमता का 01 एम एस टैंक स्थापित किया जायेगा।
5– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट / फिलिंग स्टेशन के 100 मी0 चारो तरफ वर्तमान में कोई चिंगारी उत्पन्न करने वाला संस्थान नहीं पाया गया। और न ही अति ज्वलनशील / खतरनाक पदार्थो का भण्डारण पाया गया। तथा संस्थान के ऊपर इलेक्ट्रिक लाइन भी नहीं पायी गयी।
6– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण में कोई विवाद न्यायालय में नहीं है यह मानचित्र पर क्रमांक 18 पर अंकित है।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाः–

1– मानचित्र में प्रस्तावित सभी शर्तो का पालन किया जायें।
2– परिसर का प्रयोग केवल पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण एवं विक्रय हेतु किया जायेगा।
3– अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास धूम्र पान निषेध का वोर्ड लगाया जाये तथा कर्व वाल के पास 06 अदद सैण्ड बकेट लालरंग से रंगकर 1 स्टैण्ड पर टांग कर रखे जायें।
4– भवन व मशीनों के विद्युती करण में भारतीय मानक 2148 का पालन किया जाये।
5– फस्ट एड बाक्स 2 अदद रखे जायें।
6– डिस्पेसिंग मशीनो हेतु 06 अदद ए0बी0सी0 9 कि0ग्रा0 क्षमता के व 01 अदद सी0ओ0टू0 4.5 किग्रा0 क्षमता का फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यालय हेतु आई0एस0आई0मार्क का लगाया जाना आवश्यक होगा।
7– संस्थान में स्थापित टेलीफोन के समीप नजदीकी फायर स्टेशन का टेलीफोन नं0–100,101,0535–2203493 व सी0यू0जी0 नं0–9454418669 का बोर्ड लगाया जाये।
– संस्थान मे लगाये जा रहे सबमर्सिबल पम्प को जनरेटर से जोड़ा जाये तथा इस पर 63 एम.एम. मेल कपलिंग / लैडिंग वाल्व लगाया जाये जिससे आपातकालीन के समय अग्निशमन की मशीनों को सुगमता से पानी प्राप्त हो सके।
9– भूमिगत टैंको में टैक लारी(टैंकर) से पेट्रोलियम पदार्थ ड्रेन करते समय लारी को अर्थ पिट से प्रत्येक दशा में जोड़ा जायें।
10–संस्थान का प्रवेश एवं निकास मार्ग सदैव अवरोध रहित रखा जायें इसमें किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न किया जाये।

अतः उपरोक्त ढॉचागत एवं प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था को अधिष्ठापित करायें जाने तथा पम्प के संचालन के पूर्व उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्थाओ को इस विभाग से निरीक्षण / परीक्षण कराये जाने की शर्त के साथ प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के निर्माण कराये जाने की निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।

28-05-19

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
रायबरेली।

प्रतिलिपिः–

1– इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा ग्रा0 सेरी, तहसील–सदर, थाना–बछरावां, जनपद रायबरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

03/9/21

उपांशु कुमार / Upansh Kumar
वरिष्ठ प्रबंधक (खुदरा बिक्री) / Sr. Manager (Retail Sales)
लखनऊ मण्डलीय कार्यालय, Lucknow Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Ltd.(M.D.)
इंडियन ऑयल भवन, विभूति खण्ड / Indian Oil Bhawan, Vibhuti Khand
गोमती नगर, लखनऊ–226010 / Gomti Nagar, Lucknow-226010